महत्वपूर्ण / बजट 2018-2019

संख्या : 13/2017/बी-1-1491/दस-2017-12(2)/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 01 दिसम्बर, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 10/2017/बी-1-1334/दस-2017-12(2)/2018 दिनाँक 27 सितम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या 11/2017/बी-1-1399/दस-2017-12(2)/2018 दिनाँक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुये वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट प्रस्तावों को वित्त विभाग को दिनाँक 30 नवम्बर, 2017 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

अधिकाँश विभागों के बजट प्रस्ताव अभी तक वित्त विभाग में प्राप्त नहीं हुये हैं । अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर वित्त विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें । उपरिअंकित दोनों परिपत्र राज्य सरकार की वेब साइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 13/2017/बी-1-1491/दस-2017-12(2)/2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2 प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
3 अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5 वित्त विभाग के समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग एवं उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव, वित्त ।

http:/ shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।